

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर



कार्यालय-आदेश



विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना.व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2021 दिनांक 02.07.2021 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि के संबंध में जारी वेतन आहरण आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-4 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वेतन अवधि	संशोधन
1	2.	3	4
1	मनोज कुमार शर्मा प्रधानाचार्य राउमावि मीणापुरा, रामगढ, अलवर।	दिनांक 7.1.2021 से 31.01.2021 तक	वेतन व्यवस्था आदेश दिनांक 02.07.2021 में क.सं 01 पर अंकित कार्मिक के संबंध में वर्णित वेतन अवधि जनवरी 2021 के स्थान पर दिनांक 07.01.2021 से 31.01.2021 तक पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1, 2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2021 दिनांक 06.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 6 संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान
- 7 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक-कार्मिक